

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष
 स्थान का नाम शाहपुरा बैच संख्या -02
 (विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987(केन्द्रीय अधिनियम)की धारा 19 के अधीन)
 (ताल्लुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी

मुंशीता पत्नी जगन्ना लाल प्रजापत कुम्हार
 निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

1. इदा पिता काना मुर्जित निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
2. श्री साधरी पिता काना मुर्जित निवासी मुण्डेता पत्नी
3. श्री श्यामी लाल मुर्जित लाल उमेश मुर्जित तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या

67/2018

उपस्थिति :-

न्यायिक अधिकारी का नाम : 1. श्री राजेश कुमार मीणा (ए.सी.जे.एम. शाहपुरा)

सदस्य का नाम : 2. श्री नारायण लाल जीनगर (तहसीलदार शाहपुरा)


अधिनिर्णय

दिनांक - 12/3/22

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों के मामले /विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-


अपि वक्ता वादी उपस्थित होकर वाद में हजे के करे
 कार्यवाही नही चलेकर वाद को विझे करना चाहे। वादी
 अकिष्कता की प्रकृति पर वाद पर विझे करने की लीहति
 प्रदान की जाती है।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय शुल्क यदि कोई उनमें से किसी द्वारा सदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।


 प्रार्थी पक्ष
 अचिवरसा प्रार्थी
 (दुर्गा लाल राजौरा)

अप्रार्थी पक्ष


 न्यायिक अधिकारी
 राष्ट्रीय लोक अदालत बैच -द्वितीय
 (तालुका विधिक सेवा समिति)
 शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज


 प्रशासनिक अधिकारी
 तहसीलदार
 शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज